कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2021–2022/1451-59 दिनांक : 19.05.2021

1. जिला क्षय रोग अधिकारीश्रावस्ती।
2. समस्त चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
   सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रावस्ती।

विषय : माह - मई 2021 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में 20 मई 2021 से 15 जून 2021 तक कैम्पेन / अभियान चलाये जाने विषयक ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ 2021–22/8892 लखनऊ/ दिनांक 05–05–2021 द्वारा अवगत् कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष दिनांक 31 मई 2021 को विश्व स्वस्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त थीम **Commit to quit today and sign the pledge** पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कैम्पेन के रूप में दिनांक 20 मई 2021 से 15 जून 2021 तक मनाया जाना है ।

प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है जिस हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व स्वस्थ्य संगठन द्वारा एक थीम प्रदत्त किया जाता है इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ लिए जाने पर बल दिया गया है इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद /ब्लाक में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केंद्र, एन.सी.डी. क्लिनिक, मनकक्ष, टी.बी. क्लिनिक एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत काउंसलर /साइकोलोजिस्ट के माध्यम से व्यक्तियों की काउंसिलिंग करते हुए तम्बाकू छोड़ने एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्विट लाइन नंबर – 1800112356 का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें तथा तम्बाकू उपभोग न करने हेतु हेतु शपथ भी दिलाई जाय।

प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकारी प्रतिष्ठानों सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने हेतु प्रतिवंधित किया जा चूका है जिस के लिए आपको पूर्व में निर्देश दिए जा चुके है ।

अतःआपको निर्देशित किया जाता है कि आप कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उक्त कैम्पेन में प्रचार प्रसार, ऑडियो – विडिओ क्लिप, वेबिनार इत्यादि का आयोजन के अतरिक्त सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्य चिकिसा अधिअकरी कार्यालय को १० कार्य दिवसों के अन्दर फोटो, न्यूज पेपर कटिंग एवं रिपोर्ट उपलव्ध कराना शुनिश्चित करें।

उक्त कैम्पेन को प्रभावी वनाने हेतु किसी भी जिज्ञासा एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार की वेवसाइट – ntcp.nhp.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2021–22 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती।
4. पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
5. मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
6. नोडल अधिकारी जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्रावस्ती।
7. यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
श्रावस्ती।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2021–2022 दिनांक : 19.05.2021

1. जिला क्षय रोग अधिकारीश्रावस्ती।
2. समस्त चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
   सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रावस्ती।

विषय : माह - मई 2021 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में 20 मई 2021 से 15 जून 2021 तक कैम्पेन / अभियान चलाये जाने विषयक ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ 2021–22/8892 लखनऊ/ दिनांक 05–05–2021 द्वारा अवगत् कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष दिनांक 31 मई 2021 को विश्व स्वस्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त थीम **Commit to quit today and sign the pledge** पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कैम्पेन के रूप में दिनांक 20 मई 2021 से 15 जून 2021 तक मनाया जाना है ।

प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है जिस हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व स्वस्थ्य संगठन द्वारा एक थीम प्रदत्त किया जाता है इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ लिए जाने पर बल दिया गया है इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद /ब्लाक में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केंद्र, एन.सी.डी. क्लिनिक, मनकक्ष, टी.बी. क्लिनिक एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत काउंसलर /साइकोलोजिस्ट के माध्यम से व्यक्तियों की काउंसिलिंग करते हुए तम्बाकू छोड़ने एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्विट लाइन नंबर – 1800112356 का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें तथा तम्बाकू उपभोग न करने हेतु हेतु शपथ भी दिलाई जाय।

प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकारी प्रतिष्ठानों सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने हेतु प्रतिवंधित किया जा चूका है जिस के लिए आपको पूर्व में निर्देश दिए जा चुके है ।

अतःआपको निर्देशित किया जाता है कि आप कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उक्त कैम्पेन में प्रचार प्रसार, ऑडियो – विडिओ क्लिप, वेबिनार इत्यादि का आयोजन के अतरिक्त सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्य चिकिसा अधिअकरी कार्यालय को १० कार्य दिवसों के अन्दर फोटो, न्यूज पेपर कटिंग एवं रिपोर्ट उपलव्ध कराना शुनिश्चित करें।

उक्त कैम्पेन को प्रभावी वनाने हेतु किसी भी जिज्ञासा एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार की वेवसाइट – ntcp.nhp.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2021–22/1451-59 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती।
4. पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
5. मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
6. नोडल अधिकारी जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्रावस्ती।
7. यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
श्रावस्ती।